



समक्ष श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर कैम्प, भोपाल

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/13-14

श्रीमती शाहवानो अली

पत्नी श्री नासिर अली आयु वयस्क

कृषक व निवासी- ग्राम अम्बाड़ी

तहसील व ज़िला रायसेन म.प्र.

वर्तमान निवासी- 9 ईदगाहहिल्स

भोपाल म0प्र0

आवेदिका

विरुद्ध

श्रीमती तीरथ बाई आ/पति श्रीराम आयु वयस्क

श्रीमती इमरती बाई आ./पति श्रीराम आयु वयस्क

निवासीगण- ग्राम अम्बाड़ी तहसील व ज़िला

रायसेन म.प्र.

अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता विरुद्ध
सीमाकंन दिनांक 27.06.2014, जो राजस्व निरीक्षक,
दीवानगंज मण्डल तहसील व ज़िला रायसेन द्वारा संपन्न
किया गया अंतर्गत प्रकरण क्र. निरंक पक्षकारगण श्रीमती
तीरथ बाई एवं श्रीमती इमरती बाई विरुद्ध सर्वसाधारण।

आवेदिका को ओर से निम्नानुसार निवेदन है:-

यह कि अनावेदकगण द्वारा ग्राम अम्बाड़ी तहसील व
ज़िला रायसेन की भूमि खसरा नंबर 51, 73 रकबा क्रमशः
0.490 हेक्टेयर, 3.573 फ़ैटेयर एवं खसरा नंबर 50, 53,
55, 86, 94, 96, 98, 130 रकबा 0.328 हेक्टेयर भूमि के
संबंध में सीमाकंन हेतु आवेदन राजस्व निरीक्षक दीवानगंज
मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसके आधार पर
दिनांक 25.06.14 को सीमाकंन संपन्न कराये जाने संबंधी
सूचना पत्र राजस्व निरीक्षक मण्डल दीवानगंज द्वारा जारी किये

harmohamed AC

निरन्तर.....2

1970-1971 学年第二学期期中考试卷

新編中華書局影印

卷之三

THE JOURNAL OF

24-7-2014 आवेदन के द्वितीय अभिभावक कला लाहौर पर प्रस्तुत।

तरहे उन विद्यार्थीयों की जिसका नाम है और जिसके लिए उन्हें अपने प्रियजनों द्वारा बड़ा धूमधारी का नाम दिया गया है। इस विद्यार्थी की जीवनी का विवरण एवं उनकी विशेषताएँ इस लेख में आपको बताया जाएगा।

12
1948

卷之三